मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 18, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

2. बधाई

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के जन्मदिन की बधाई

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 59 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

किसानों की कर्जमाफी की जाना एवं उन्हें खाद, बीज उपलब्ध कराया जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में प्रदेश के सभी किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने का वचन दिया था, परन्तु आदेश में लिख दिया कि अल्पकालीन फसलीय ऋणमाफी की जायेगी. इस तरह पूर्णतः कर्जमाफी नहीं हुई. किसानों को खाद और बीज की व्यवस्था के लिए कर्ज न मिलने के कारण साहूकारों के पास जाना पड़ रहा है. क्योंकि बैंक किसानों को पूर्व ऋण की अदायगी न होने से ऋण नहीं दे रहे हैं सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 160 रूपये का बोनस देने का वचन दिया था, सोयाबीन का बोनस भी नहीं दिया, मूंग और उड़द की दाल की खरीदी नहीं की गई. आज किसान प्रदेश में त्राहि-त्राहि कर रहा है. इस पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है, सदन की कार्यवाही स्थगित कर उस पर चर्चा कराई जाये. क्योंकि कल बजट आने के बाद सामान्य चर्चा शुरू हो जायेगी.

आसंदी ने माननीय सदस्यगण को अवगत कराया कि विषय के महत्व के आधार पर किसी न किसी रूप में इस विषय को सदन में लेकर चर्चा कराई जायेगी.

5. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा शासन द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सदन में तत्काल चर्चा न कराने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य ने रीवा जिले की तहसील गुढ़, ग्राम उमरिया में आकाशीय बिजली गिरने से पीड़ितों को शासकीय सहायता राशि न मिलने,

(2) श्री गिर्राज डण्डोतिया, सदस्य ने मुरैना जिले में स्टाम्प वेन्डर्स द्वारा स्टाम्प विक्रय का मनमाना शुल्क वसूले जाने,

(3) श्री संजय यादव, सदस्य ने जिला जबलपुर बरगी वि.स. अंतर्गत जनजातीय विकास विभाग द्वारा बेलखेड़ा क्षेत्र में अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने प्रदेश में नियम विरूद्ध चल रहे कृषि महाविद्यालयों पर शासन का अंकुश न होने तथा

(5) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य ने ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र स्थित जीर्णशीर्ण तालाबों का जीर्णोद्धार किये जाने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

7. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019),

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019),

(ग) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019),

(घ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) तथा

(ङ) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019).

पटल पर रखे.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17,

(ख) म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) के अन्तिम लेखे वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18,

(ग) इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) म.प्र.मर्यादित का दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा,

(घ) म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा

(ङ) मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18,

पटल पर रखे.

(2) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ 5-22/2018/55-2, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 पटल पर रखी.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन विभाग की निम्न अधिसूचनाएं - (क) क्र. एफ 22-12/2015/आठ, दिनांक 23 मई, 2015, (ख) क्र.एफ 22-20/2018/आठ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018, (ग) क्र.एफ 22-12/2015/आठ, दिनांक 02 जनवरी, 2019 तथा (घ) क्र.एफ 22-2/2019/आठ, दिनांक 12 जनवरी, 2019 पटल पर रखीं.

(4) डॉ.प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18 पटल पर रखे.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) (i) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 7 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, (ii) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, (iii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, (iv) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 एवं

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 71/म.प्र.वि.नि.आ./2018, दिनांक 16 जनवरी, 2018, पटल पर रखे.

(6) श्री हर्ष यादव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखा.

(7) श्री सचिन यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17 पटल पर रखी.

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने

(क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 तथा

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2017-18 पटल पर रखे.

9. फरवरी, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

10. नियम 267 - क के अधीन फरवरी, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2019 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019(क्रमांक 10 सन् 2019)	30 मिनिट
(3)	मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019)	30 मिनिट
(4)	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019)	30 मिनिट
(5)	मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)	30 मिनिट
(6)	दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)	1 घण्टा

समिति द्वारा सिफारिश की गई कि - सभा की दिनांक 15 एवं 16 जुलाई, 2019 को होने वाली बैठकें शनिवार, दिनांक 20 एवं रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 2019 को रखी जाय.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण एवं बैठकों में परिवर्तन के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 4 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2019
(2)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2019
(3)	मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2019
(4)	मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2019

13. ध्यानाकर्षण

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य तथा श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के विकलांग बच्चों को कृत्रिम अंग निश्चित अवधि में प्रदान न किये जाने की ओर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लखन घनघोरिया, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री एवं डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री विनय सक्सेना तथा श्री अजय विश्नोई, सदस्यगण ने जबलपुर शहर के मदनमहल पहाड़ियों से विस्थापित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री एवं श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने वक्तव्य दिया.

14. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 193-झाबुआ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री गुमान सिंह डामोर के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने एवं दिनांक 4 जून, 2019 को स्वीकृत किए जाने की सूचना सदन को दी गई.

15. औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि कल निधन के उल्लेख में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधान सभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई. माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण भी थे. ध्यानाकर्षण तो आज आ गये लेकिन कल की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न आज नहीं आये हैं. इसी तरह कल 11 बजे से बजट उपस्थापित होने से प्रश्नकाल नहीं होगा. आसंदी से अनुरोध है कि कल 11 बजे से प्रश्नकाल के बाद बजट प्रस्तुत करने की अनुमति वित्त मंत्री को दी जाए. साथ ही, आप यह भी व्यवस्था दे दें कि जब विधायक प्रश्न करेंगे तो मंत्री जी की तरफ से जनरल उत्तर न आए बल्कि उस प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर आ जाए तो उचित होगा. श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने जानकारी दी कि पूर्व में अपराह्न 3 बजे बजट प्रस्तुत हुआ करता था. इसी बीच, सदन में व्यवधान होने पर, आसंदी ने व्यवस्था दी कि – "सभी स्वस्थ परम्परा बनाएं. बजट पर जैसी परम्परा अब तक रही है उसका ही मैं अनुसरण कर रहा हूँ. आपके सुझाव पर मेरा कहना है कि बजट में हर विभाग की चर्चा आएगी तब दोनों दलों के माननीय नेतागण, ऐसे सदस्य जिनके प्रश्न प्रश्नोत्तरी में आए हैं, उन्हें उस मांग संख्या पर बोलने का अवसर हम जरूर प्रदान करेंगे ताकि उसकी पूर्ति हो सके".

आसंदी ने इसी संदर्भ में उल्लेख किया कि - "वर्ष 2002 में यह तय किया गया था कि लोकसभा के अनुसार बजट सायंकाल 4 बजे के स्थान पर 10:30 बजे प्रस्तुत किया जाएगा और परंपरा के अनुसार उस दिन सदन की और कोई कार्यवाही नहीं होगी. यह आपके समय भी ऐसा ही होता था उसी का मैं पालन कर रहा हूं. लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपसे चर्चा करके कोई न कोई हल हम इसका अवश्य निकाल लेंगे".

16. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री लक्ष्मण सिंह
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 1.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 19, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 जुलाई, 2019